राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला–भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी :– नारायणलाल जीनगर आर0ए0एस0

मुकदमा संख्या :- 338/2023 प्रा०पत्र

रामपाल पुत्र गुलाब बागर नि० करेड़ा - हल्का करेड़ा

प्रार्थी.......

बनाम

राज सरकार जरिये तहसीलदार करेड़ा

विपक्षीगण....

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश :: **दिनांक** 21/6/23

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत क निवेदन किया कि ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों व खाता संख्या 72 आराजी नम्बर 6659, 6660, ...

.... कुलकिता 2 रकबा 0.5438 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध आराजी मुतदाविया के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा सबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अप खाते/ संयुक्त खातें की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 15/6/23 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकना से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एंव कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा–फैरी होने का अदेंशा नही है तथा न किस प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार प आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम अमरपुरा पटवार हल्का करेड़ा तहसील करेड़ा में स्थित खाता संख्या 72 आराज नम्बर 6659, 6660, ...

कुलकिता 2 रकबा 0.5438 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढ कुलकिता ... को 450/–/– रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक किये जाने हेतु भू– अभिलेख निरीक्षक करेड़ा को ... किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी मौंके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये नक्शा ट्रेस के आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

संलग्नः– प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि

Signature Not Verified

Digitally signed by Narayan Lal Jingar
Date: 2023.08.12 15:09:41 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर करेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :– तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

उपखण्ड अधिकारी
करेड़ा जिला भीलवाड़ा